न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ.सूरज सिंह नेगी,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 72/2023
प्रविष्टि दिनांक 25.07.2023

देवकरण पुत्र गोकुल जाति गुर्जर निवासी ग्राम दूनी तहसील दूनी जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार दूनी, तहसील दूनी, जिला टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 27.06.2023 तहसीलदार दूनी पत्रावली सं. 363/2023

उपस्थिति : (1) श्री राजेन्द्र जाट, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

<u>निर्णय</u> **दिनांक 21.09.2023**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार दूनी ने अपने आदेश दिनांक 27.06.2023 के द्वारा अपीलान्ट को आराजी खसरा नम्बर 3043 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म भूमि गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम दूनी, तहसील दूनी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर राजस्व लगान 0.08 रूपये का 50 गुना जुर्माना कुल 4 रू शास्ति अदा करने तथा 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किए जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार दूनी के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार का उक्त निर्णय विधि विधान एवं तथ्यों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य हैं।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व कोई नोटिस नहीं दिया और नोटिस दिया जाकर उसकी विधिवत रूप से अपीलांट की व्यक्तिशः तामील नहीं करवायी और बिना तामील के ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। अपीलांट को उक्त एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाने से पूर्व साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर भी नहीं दिया गया है। उक्त निर्णय पारित करने से पूर्व तहसीलदार द्वारा मौका निरीक्षण नहीं किया और न ही मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट तलब की गई और बिना मौके पर जाकर स्वतन्त्र गवाहान के बयान लिये ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा निर्णय पारित करने से पूर्व पटवारी हलका से अपीलान्ट को जिरह का अवसर नहीं दिया और पटवारी हलका द्वारा अपीलान्ट को मौके पर उक्त आराजी पर कब्जा नहीं होने के उपरान्त भी दुर्भावनापूर्वक उक्त भूमि के कब्जे की रिपोर्ट की है और उस रिपोर्ट को आधार बनाकर अधीनस्थ तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को सजायाब करने में गलती की है। उपरोक्त आराजी पर वर्तमान में अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। इस संबंध में अपीलान्ट ने शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ तहसीलदार दूनी का निर्णय दिनांक 27.06.2023 को निरस्त फरमाया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि अपीलांट को विधि अनुसार जरिये नोटिस तलब किया गया है व नोटिस पर अपीलांट की स्वयं की तामील हुई है किन्तु अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर पर इससे पूर्व में भी अतिकमण किया था जिसे मिसल संख्या 1551/2022 से निर्णय पारित किया जाकर बेदखल कर दिया गया था किन्तु अपीलांट ने पुनः मकान कब्जा ईंट पत्थर डालकर अतिक्रमण किया है। अतिकमी सरकारी भूमि पर बार बार अतिकमण करने का आदी है, उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्व है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिकमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस को सुना एवं बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिकमण का नोटिस दिया गया है तथा अपीलांट की तामील करवाई गई है किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नं. 3043 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन नाला वाके ग्राम दूनी तहसील दूनी पर संवत् 2020 फसल जायद में मकान कब्जा ईंट पत्थर डालकर अतिकमण किया था। अतिकमित भूमि सार्वजनिक उपयोग की गैर मुमकिन नाला की भूमि हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में विहित सार्वजनिक उपयोग की प्रतिबन्धित राजकीय भूमि की श्रेणी में आती है। अपीलांट के अभिभाषक का कथन हैं कि अपीलान्ट द्वारा अपना कब्जा हटा लिया है और वह भविष्य में किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा नहीं करेगा। इस संबंध में न्यायालय हाजा में शपथ पत्र भी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.06.2023 के जरिये लगाया गया अर्थ दण्ड व बेदखली की कार्यवाही को यथावत रखा जाता है, परन्तु सिविल कारावास की सजा इस शर्त पर स्थगित की जाती है कि तहसीलदार दूनी यह सुनिश्चित करेगे की अपीलांट ने अतिकमित भूमि पर से कब्जा हटा लिया है। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है। अपीलांट द्वारा कब्जा नहीं हटाने की स्थिति में या भविष्य में किसी अन्य सरकारी भूमि पर कब्जा करने की स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.09.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. सुरज सिंह नेगी)
अति.जिला कुलेक्टर,
टोंक